अध्याय VIII : गृह मंत्रालय

फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय

8.1 खराब योजना के कारण योजना उद्देश्य की गैर-पूर्णता

'क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं/जिला गतिशील फोरेंसिक इकाईयों' के सृजन की योजना को निधियों की वास्तविक आवश्यकता तथा व्यय के रूप को निश्चित किए बिना आंरभ किया गया था। इसके परिणामस्वरूप विचारित 58 प्रयोगशालाओं में से केवल छ: प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई थी, जिसके कारण योजना उद्देश्यपूर्ण नहीं हो पाई।

गृह मंत्रालय (गृ.मं.) की व्यय वित्त समिति (व्य.वि.स.) ने फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय (फो.वि.से.नि.) की योजना अर्थात् क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (क्षे.फो.वि.प्र.) तथा जिला गतिशील फोरेंसिक इकाई (जि.ग.फो.इ.) का सृजन केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में कार्यान्वित किए जाने का अनुमोदन किया (फरवरी 2009)। योजना द्वारा सामान्य फोरेंसिक मामला विश्लेषण कार्य की क्षमता को सुदृढ़ करना, राज्यों में रासायनिक, भौतिक, जैविक तथा दस्तावेज विज्ञानों में फोरेंसिक विश्लेषणों के लिए अतिरिक्त क्षमता का निर्माण तथा अपराध स्थल प्रबंधन को मजबूत करना था। एक राज्य/के.शा.प्र. में क्षे.फो.वि.प्र./जि.ग.फो.इ. की स्थापना के मापदण्ड नियामक आधार थे जिसमें अपराध की प्रकृति अथवा स्तर, सुरक्षा परिदृश्य, अपराध दर, विद्यमान सुविधाओं इत्यादि जैसे कारक शामिल थे। योजना के अंतर्गत ₹48 करोड़ की राशि छ: क्षे.फो.वि.प्रा. तथा ₹52 करोड़ की राशि 52 जि.ग.फो.इ. की स्थापना के लिए आवंटित की गई थी।

योजना के कार्यान्वयन के लिए फो.वि.से.नि. को क्षे.फो.वि.प्र. तथा जि.ग.फो.ई. के सृजन हेतु राज्यों/के.शा.प्र. के साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन (स.ज्ञा.) करना आवश्यक था।

योजना ने ₹100 करोड़ का परिव्यय किया, जिसमें से ₹35.99 करोड़ की राशि की निधियां 15 राज्यों तथा 5 के.शा.प्र. को 2010-11 तथा 2011-12[1] के दौरान जारी की गई थी। फो.वि.से.नि., ने 14 राज्यों/के.शा.प्र. के साथ स.ज्ञा. पर हस्ताक्षर किए (**अनुबंध-XV**)। गृ.मं. के अनुमोदन के अनुसार, योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान कार्यान्वित किया जाना था, ताकि योजना अवधि की समाप्ति के पश्चात क्षे.फो.वि.प्र./जि.ग.फो.ई., को राज्य सरकारों को स्थानांतरित किया जा सके। स.ज्ञा. की शर्तों में योजना अवधि की समाप्ति के पश्चात क्षे.फो.वि.प्र./जि.ग.फो.ई. के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को राज्य/के.शा.प्र. के बजट के माध्यम से पूरा किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जबकि योजना को व्य.वि.स. द्वारा फरवरी 2009 में अनुमोदित किया गया था, फो.वि.से.नि. द्वारा मार्च 2011 में प्रथम किश्त की प्रारंभिक राशि को इस तथ्य के बावजूद जारी किया गया कि योजना को 11वीं योजना में स्वयं ही समापन पर पहुंच जाना था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि विलंब के लिए योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न प्रकार से कार्य करना जैसे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी, कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई योजना, पुनरीक्षण तथा अनुवीक्षण का तंत्र, राज्य/के.शा. सरकारों के साथ स.ज्ञा. पर हस्ताक्षर करना इत्यादि उत्तरदायी थे।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि स.ज्ञा. में फो.वि.से.नि. तथा संबंधित राज्य/के.शा. सरकारों की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व शामिल थे, योजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न गतिविधियों को आरंभ करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। समय सीमा के अभाव में वहां क्षे.फो.वि.प्र. तथा जि.ग.फो.ई. की स्थापना के लिए राज्यों की ओर से भूमि के अर्जन, उपकरणों की प्राप्ति तथा जनशक्ति को लगाना इत्यादि में विलंब हुए थे।

---

[1] ₹ 13.59 करोड़ – 2010-11, ₹ 22.40 करोड़ – 2011-12.

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि ₹9.79 करोड़ की निधियां 3 राज्यों तथा 2 के.शा.प्र.[2] को उनके साथ स.ज्ञा. पर हस्ताक्षर किए बिना जारी की गई थीं, जबकि पांच[3] मामलों में राज्यों के साथ स.ज्ञा. निधियां जारी करने के बाद दर्ज किए गए थे। इसके अतिरिक्त मंत्रालय/फो.वि.से.नि. का अपने प्रारंभिक निर्णय में आगे बढ़कर 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में योजना को बंद करने का निर्णय अविवेकपूर्ण था, जिससे यह तथ्य पता चलता है कि अलग से चिन्हित निधियों का 50 *प्रतिशत* भी, मार्च 2012 तक जारी नहीं किया गया था जैसाकि प्रारंभ में बताया गया था। परिणामस्वरूप दो क्षे.फो.वि.प्र. तथा चार जि.ग.फो.ई. को ही दिसम्बर 2014 तक स्थापित किया गया था। बाद में फो.वि.से.नि. ने मंत्रालय से दो बार (फरवरी 2013 तथा अप्रैल 2013) आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेने के लिए कहा; मंत्रालय का निर्णय प्रतीक्षित था।

14 राज्यों/के.शा.प्र. को जारी ₹18.88 करोड़[4] से संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्रों के अभाव में इन मामलों में की गई प्रगति भी अनिश्चित रह गई। स्थिति को **अनुबंध-XVI** में इंगित किया गया है।

फो.वि.से.नि. ने कहा (फरवरी 2015) कि पर्याप्त बजटीय प्रावधानों की गैर-उपलब्धता के कारण, यह योजना को जारी रखने की स्थिति में नहीं था।

इस प्रकार यह स्पष्ट था कि योजना को निधि आवश्यकता तथा प्रकारता के उचित निर्धारण के बिना देर से शुरू किया गया। इसके कारण धीमी वित्तीय तथा भौतिक प्रगति हुई तथा बहुत से राज्य स.ज्ञा. पर हस्ताक्षर करके इसके लिए वचनबद्ध थे, इसके बावजूद उद्देश्यों को पूरा किए बिना योजना को समय से पूर्व बन्द करना पड़ा।

---

[2] सिक्किम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी तथा अं. एवं नि. द्वीपसमूह

[3] मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, हरियाणा तथा जम्मू व कश्मीर

[4] सिक्किम, उत्तराखंड, मिजोरम, गोवा, पुदुचेरी तथा अं. एवं नि. द्वीपसमूह जहां प्रयोगशालाएं स्थापित की गई/उ.प्र. प्राप्त किए गए थे, को ₹17.11 करोड़ की जारी की गई निधियों को छोड़कर।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

8.2 आयुध फैक्टरियों द्वारा हथियार एवं गोला बारूद की गैर-आपूर्ति के कारण अग्रिम के रूप में दिए ₹15.58 करोड़ का अवरोधन

आई.टी.बी.पी. के सपोर्ट बटालियन ने हथियार तथा गोला बारूद की खरीद के लिए प्रभावी नियंत्रण तंत्र के अभाव में विभिन्न आयुध फैक्टरियों को ₹15.58 करोड़ की अग्रिम निधियों का भुगतान किया जो तत्काल आवश्यक हथियार तथा गोला बारूद की गैर-आपूर्ति के कारण अवरूद्ध रह गई।

सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 161 अनुबंध करता है कि मंत्रालय/विभाग द्वारा खरीद के प्रत्येक चरण के लिए उचित समय निर्धारित किया जाना चाहिए जिससे खरीद में विलम्ब को कम किया जा सके। गृह मंत्रालय, भारत सरकार में आयुध तथा गोला बारूद की आपूर्ति के लिए संस्वीकृत आदेश जारी करने तथा आयुध फैक्टरियों को संस्वीकृत राशियों के प्रति अग्रिम भुगतान करने के समय, पर समय रूपरेखा बनाना व्यवहार में नहीं था। तथापि, आयुध फैक्टरियों के प्रोफॉर्मा बीजक के अनुसार आपूर्तियां, अग्रिम भुगतान की प्राप्ति की तिथि से एक और नौ माह के बीच की अवधि के भीतर की जानी थीं।

सपोर्ट बटालियन, भारत-तिब्बतन सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.), केरल, शिवपुरी, म.प्र. के कार्यालय के अभिलेखों (अगस्त 2009 तथा मई 2013) की संवीक्षा से पता चला कि 2007-08 से 2012-13 के दौरान विभिन्न आयुध फैक्टरियों की हथियार तथा गोला बारूद की तत्काल आवश्यकता की आपूर्ति के लिए ₹15.58 करोड़ अर्थात कुल लागत के 60 *प्रतिशत* का भुगतान अग्रिमों के रूप में किया गया **(अनुबंध-XVII)**। तथापि आदेशित हथियार एवं गोला बारूद की आपूर्ति विभिन्न आयुध फैक्टरियों द्वारा नहीं की गई (नवम्बर 2014) थी। लेखापरीक्षा द्वारा (08/2009, 05/2013 तथा 01/2014) इंगित किए जाने पर आई.टी.बी.पी. की सपोर्ट बटालियन ने कहा कि शीघ्र आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए

मासिक पत्राचार, टेलीफोनिक संदेश तथा फैक्स संदेश किए गए थे और यहां तक कि विशेष संदेशवाहक को भी नियुक्त किया गया था। यह भी कहा गया कि मांगे गए हथियार एवं गोला बारूद की गैर-आपूर्ति के कारण सेनाबलों के निष्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा था। मंत्रालय ने भी हथियार एवं गोला बारूद की लम्बिता को स्वीकार किया (जून 2014) और कहा कि आयुध फैक्टरी बोर्ड (आ.फै.बो.), परिस्थितियां नियंत्रण में न होने के कारण मदों की आपूर्तियां नहीं कर सका। मंत्रालय ने आगे कहा कि आ.फै.बो. ने 2014-15 के दौरान इन लम्बित मदों की आपूर्ति के लिए प्रबंध किए हैं।

तथ्य यह है कि आई.टी.बी.पी. में खरीद के लिए प्रभावी नियंत्रण तंत्र के अभाव में सपोर्ट बटालियन द्वारा विभिन्न आयुध फैक्टरियों को अग्रिम के रूप में ₹15.58 करोड़ की धनराशि का भुगतान हथियार एवं गोला बारूद की गैर-आपूर्ति के कारण एक से छ: वर्षों के बीच की अवधि के लिए अवरूद्ध रहा।

लेखापरीक्षा का विचार है कि मंत्रालय को आयुध फैक्टरियों को किए अग्रिम भुगतान के मामले को देखना चाहिए तथा आयुध फैक्टरियों को और अधिक उत्तरदायी बनाकर तथा आई.टी.बी.पी. को हथियार एवं गोला बारूद की तत्काल आवश्यक आपूर्ति को सुनिश्चित करके प्रणाली में अकुशलता को दूर करने हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड

8.3 ₹ 2.15 करोड़ का अनाधिकृत व्यय

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने ₹ 2.15 करोड़ का व्यय उन गतिविधियों पर किया, जो चार क्षेत्रीय केन्द्रों के निर्माण हेतु मंत्रालय द्वारा जारी संस्वीकृतियों के अंतर्गत आच्छादित नहीं थी।

गृह मंत्रालय (मंत्रालय) ने चार महानगरीय शहरों[5] में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (रा.सु.गा.) के क्षेत्रीय केन्द्रों के उत्थान हेतु आवश्यक प्री-फैब तथा स्थायी ढांचों के निर्माण के लिए ₹ 186.36 करोड़ संस्वीकृत किया (जून 2009)। मंत्रालय ने आगे निर्देश दिया कि कार्य राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (रा.भ.नि.नि.) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। मंत्रालय के निर्देशों पर रा.सु.गा. ने कार्य के निष्पादन हेतु जून 2009 में रा.भ.नि.नि. के साथ एक स.ज्ञा. पर हस्ताक्षर किए। क्षेत्रीय केन्द्रों का निर्माण सितम्बर 2009 में शुरू हुआ तथा समापन जुलाई 2012 (चेन्नई), अक्तूबर 2011 (कोलकाता), जनवरी 2012 (हैदराबाद) तथा अक्तूबर 2012 (मुम्बई) में हुआ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि संस्वीकृति ढांचों जैसे आवास, बैरक, मैस, कार्यालय तथा भंडारों इत्यादि के निर्माण हेतु दी गई थी, रा.सु.गा. ने गैर-अनुमोदित घटकों जैसे फर्नीचर की खरीद, विद्युत बिलों का भुगतान, भवनों के अनुरक्षण पर भी व्यय किया था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि रा.सु.गा. द्वारा इन घटकों के भुगतान के लिए स.ज्ञा. भी उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रा.सु.गा. ने **अनुबंध-XVIII** में दिखाई गई वे मदें जो मंत्रालय द्वारा जारी संस्वीकृतियों के अंतर्गत कवर नहीं थी, पर ₹1.81 करोड़ (एजेन्सी प्रभार के 7 *प्रतिशत* सहित) का अनाधिकृत व्यय किया। यह भी देखा गया कि रा.सु.गा. ने रा.भ.नि.नि. को कोलकाता (मार्च 2013 तक) तथा हैदराबाद (2012-13) में केन्द्र के निर्माण के बाद के अनुरक्षण कार्यों के लिए क्रमश: ₹ 26.83 लाख तथा ₹ 7.58 लाख का भुगतान किया। यह व्यय मंत्रालय के आवश्यक अनुमोदन के बिना, केन्द्रों के निर्माण हेतु निर्दिष्ट निधियों में से किया गया।

इसे इंगित किए जाने पर मंत्रालय ने रा.सु.गा. के जवाब को पृष्ठांकित किया (दिसम्बर 2014) जिसमें कहा गया कि सभी चार महानगरीय शहरों में क्षेत्रीय केन्द्रों के अनुरक्षण पर किया व्यय रा.सु.गा. की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया गया था। जैसा कि रा.सु.गा. के पास कोई विकल्प उपलब्ध नहीं

[5] चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद तथा मुम्बई

था तथा आवश्यक सेवाओं पर अनुरक्षण अपरिहार्य आवश्यकता थी इसलिए व्यय को परियोजना लागत में प्रभारित किया गया था। मंत्रालय ने रा.सु.गा. से कार्योत्तर मंजूरी के लिए अनुरोध की प्राप्ति पर, क्षेत्रीय केन्द्रों के उत्थान हेतु संस्वीकृत राशि में से फर्नीचर की खरीद, विद्युत बिलों के भुगतान तथा अन्य विविध/अनुरक्षण कार्यों पर किए ₹2.15 करोड़ के व्यय के लिए सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृत भेजी (दिसम्बर 2014)।

उत्तर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रमाणित करता है कि रा.सु.गा. द्वारा मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना, निर्माण से असंबंधित गतिविधियों पर व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹2.15 करोड़ का अनाधिकृत व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त सामान्य प्रसंग में कार्योत्तर मंजूरी, वास्तव में पहले उल्लंघन करने तथा बाद में उस पर परिशोधन प्राप्त करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। आवश्यक व्ययों की पूर्वानुमान करना तथा इसके लिए प्रावधान करना कार्योत्तर ऐसी स्वीकृति को अनावश्यक बनाएगा।

सीमा सुरक्षा बल

8.4 त्रुटिपूर्ण क्रय योजना के कारण उपकरणों की व्यर्थता

सीमा सुरक्षा बल के एयर विंग ने दो ग्रांऊडेड हेलीकॉप्टरों में उपयोग के लिए 'सहायक पॉवर इकाईयों' का क्रय किया। इन उपकरणों को निर्माताओं द्वारा हेलीकॉप्टरों के आयु विस्तार से पहले क्रय किया गया। अत: सी.सु.ब. क्रय प्रक्रिया के निर्णय से पहले हेलीकॉप्टरों की उपयोग्यता निश्चित करने में विफल रहा जिसके कारण ₹1.41 करोड़ के उपकरण लगभग 20 महीने के लिए व्यर्थ पड़े रहे।

भारतीय वायु सेना (भा.वा.से.) के एयर मुख्यालय द्वारा जारी एम.आई.-17 हेलीकॉप्टरों की उन्नयन नीति की शर्तों में हेलीकॉप्टरों तथा उपकरणों की निवृत्ति आयु में कोई विस्तार अनुमत नहीं है। यदि आवश्यक हो तो हेलीकॉप्टरों तथा उपकरणों की निवृत्ति आयु में संशोधन हेतु मामले को

निर्माता के समक्ष उठाया जाता है। हेलीकॉप्टरों के लिए आयु विस्तार, सामान्यता मूल उपकरण निर्माता (मू.उ.नि.) द्वारा मशीनों की तकनीकी वैधता को निश्चित करने तथा यह सुनिश्चित करने के बाद दिया जाता है कि हेलीकॉप्टरों में लगे उपकरण की पर्याप्त शेष आयु है अथवा नए उपकरण लगाए जाने हैं।

सीमा सुरक्षा बल (सी.सु.ब.) के एयर विंग ने एयरफ्रेम तथा मुख्य समूहों का नियत समय/कैलेंडर आयु की समाप्ति के कारण ए.ओ.जी. स्तरों[6] पर इसके एम.आई.-17 हेलीकॉप्टरों (पंजीकरण सं. जेड-4102 और जेड-4104) की उपयोग्यता को पुन: प्रतिष्ठापन करने का निर्णय लिया (मार्च 2012)। सी.सु.ब. के महानिरीक्षक (वा.) ने दो सहायक पॉवर इकाईयों (स.पा.इ.) सहित 10 अतिरिक्त उपस्करों की खरीद हेतु प्रशासनिक अनुमति प्रदान की (मार्च 2012)। सी.सु.ब. ने दो स.पा.इ. की खरीद मैसर्स मोटर सिच, जे.एस.सी., यूक्रेन[7] से मू.उ.नि. होने के कारण क्रय हेतु ₹1.41 करोड़ की संस्वीकृति दी (अक्तूबर 2012)। सी.सु.ब. ने मू.उ.नि. के साथ एक समझौता किया (नवम्बर 2012) तथा ₹1.34 करोड़ की राशि (समझौते की राशि का 95 *प्रतिशत*) जारी की (फरवरी 2013)। स.पा.इ. की आपूर्ति मई 2013 में की गई थी।

लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ कि सी.सु.ब. ने अतिरिक्त उपस्करों का क्रय शुरू करने से पहले इन दो हेलीकॉप्टरों के आयु विस्तार के लिए भा.वा.से. अथवा मू.उ.नि. के साथ बातचीत नहीं की, जो उन्नयन नीति के अनुरूप नहीं था। इस प्रकार सी.सु.ब. ने भविष्य के प्रचालनों के लिए मशीनों की तकनीकी वैधता तथा धारणीयता को पहले निश्चित किए बिना स.पा.ई. के लिए क्रय प्रक्रिया का निर्णय लिया। इसके परिणामस्वरूप ₹1.41 करोड़ की कीमत पर प्राप्त स.पा.ई.

---

[6] एयरक्राफ्ट ओपरेशनली ग्राऊडंड

[7] ए.पी.यू. यूक्रेन राज्य द्वारा निर्मित किया जाता है जो यू.एस.एस.आर. का एक भाग था। अन्य उपस्करों का क्रय (रूस के अन्य अभिन्न भाग द्वारा निर्मित) नहीं किया चूंकि हैलीकॉप्टर (जेड-4102 तथा जेड-4104) का आयु विस्तार नहीं किया गया था।

पूरे 20 महीनों के लिए व्यर्थ पड़े रहे जबकि हेलीकॉप्टरों को नवम्बर 2014 तक ए.ओ.जी. स्तरों पर जारी रखा गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर सी.सु.ब. ने अपने उत्तर (सितम्बर 2014 तथा नवम्बर 2014) में कहा कि हेलीकॉप्टरों (जेड-4102 तथा जेड-4104) का आयु विस्तार भा.वा.से के जरिए नहीं किया जा सका। आगे यह कहा गया कि स.पा.ई. के ठेके को नवम्बर 2012 के माह में अंतिम रूप दिया गया तथा जनवरी 2013 के माह में जेड-4102 और जेड-4104 की बजाए जेड-4101 तथा जेड-4105 को आयु विस्तार देने का निर्णय लिया था। दो हैलीकॉप्टरों जेड-4102 तथा जेड-4104 के लिए स.पा.ई. की आरंभिक मांग को आगे किसी मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए जेड-4101 तथा जेड-4105 के लिए अनुरक्षित रखा गया था। प्राप्त की गई स.पा.ई. को अन्य दो हेलीकॉप्टरों (जेड-4101 तथा जेड-4105) में प्रयुक्त किया जाएगा जो वर्तमान में भारतीय वायु सेना से ऋणी स.पा.ई. के साथ उड़ रहे थे।

यह भी कहा गया कि चूंकि कोई एम.आई.-17 हेलीकॉप्टर 4 फरवरी 2015 के बाद से उड़ान नहीं करेगा, जब तक कि उसकी मरम्मत पूरी नहीं हो जाती, ये स.पा.ई., ऋण स.पा.ई. के बदले में भा.वा.से. को दी जा सकेगी। यह प्रबंध न केवल स.पा.ई. के उपयोगी जीवन की उपयोगिता को सुनिश्चित करेगा बल्कि परिणाम में कोषागार में बचत होगी।

उत्तर निम्निलिखित संदर्भों पर मान्य नहीं है:

- इन हेलीकॉप्टरों (जेड-4102 व जेड-4104) की भविष्य की उपयोग्यता का स्तर पूरी क्रय प्रक्रिया में आयु विस्तार के मामलों के कारण बहुत अधिक अनिश्चित रहा; तब भी सी.सु.ब. आगे बढ़ा तथा क्रय किए।

- यह विचार कि अब किए गए क्रयों को अन्य दो हेलीकॉप्टरों (जेड-4101 व जेड-4105) के लिए उपयोग में लाया जाएगा जो भा.वा.से. से स.पा.ई. ऋण

पर लेकर प्रचालित किए जा रहे थे, अच्छी सोच की योजना की अपेक्षा पहले से किया हुआ काम दिखाई देता था। इसके अतिरिक्त जब तक इन दो हेलीकॉप्टरों के मरम्मत कार्य होंगे तब तक इनकी आयु फरवरी 2015 में समाप्त हो जानी थी।

- क्रय प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय, जबकि प्रारंभिक योजना के अंतर्गत जनवरी 2013 में जेड-4102 तथा जेड-4104 की बजाय जेड-4101 तथा जेड-4105 के आयु विस्तार का निर्णय लिया जा चुका था, अविवेकपूर्ण था जैसाकि सी.सु.ब. उस स्थिति में भी क्रय औपचारिकताओं को रद्द करने की सुधारक कार्रवाई कर सकता था। यह संकेत करता है कि सी.सु.ब. मामले को पूरी कर्मठता से करने में विफल रहा।

- सी.सु.ब. ने स.पा.ई. तथा अन्य अतिरिक्त उपस्करों के लिए क्रय गतिविधियों को एक साथ नहीं किया। तथ्य से यह स्पष्ट है कि जबकि नयी स.पा.ई. मई 2013 में क्रय की गई थीं, अन्य मदों को क्रय करने की प्रक्रिया को जुलाई 2013 में आरंभ किया गया तथा इस संबंध में निविदाओं को अंत में दिसम्बर 2013 में खोला गया। फिर भी मामला आगे नहीं ले जाया गया।

- जबकि सी.सु.ब. ने अप्रैल 2013 में अपने दो हेलीकॉप्टरों के लिए भा.वा.से. से स.पा.ई. को ऋण पर लिया, दो स.पा.ई. जो मई 2013 में भेजी गई थी, निरन्तर व्यर्थ रहीं। यह तथ्य कि ये गतिविधियां एक साथ की जा रहीं थीं, त्रुटिपूर्ण क्रय प्रक्रिया का संकेतक था।

- सी.सु.ब. का यह विचार कि नयी स.पा.ई. को भा.वा.से. को उपयोग की गई स.पा.ई. के बदले दिया जा सकता है, एक अनुचित निर्णय का खराब युक्तीकरण है जिसके कारण अंत में मंहगे उपकरण बेकार हो गए।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

8.5 अतिरिक्त व्यय

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समय पर मानक फिटिंग के साथ 120 एम्बुलेंसों की प्राप्ति के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहा जिसके कारण क्रय लागतों में वृद्धि तथा फलस्वरूप ₹83.79 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (के.रि.पु.ब.) ने गृह मंत्रालय (मंत्रालय) को 133 चार-स्ट्रेचर एम्बुलेंसों, वातानुकूलन तथा मानक उपकरणों की फिटिंग सहित, की खरीद के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जून 2010)। यह सुझाव दिया कि वाहनों की खरीद मूल उपकरण निर्माता (मू.उ.नि.) होने के कारण मैसर्स टाटा मोटर्स लि. (टा.मो.लि.) से की जानी है। उपकरण सहित एम्बूलेंसों की कुल लागत ₹13.43 करोड़ अनुमानित की गई। मंत्रालय ने प्रस्ताव में (मई 2011) 120 चार-स्ट्रेचर एम्बूलेंसों की खरीद (₹10.82 करोड़) तथा मानक उपकरण के साथ वा.अनु. की फिटिंग (₹3.56 करोड़) के लिए ₹14.38 करोड़ (करों सहित) की संस्वीकृति की सहमति देते हुए निर्धारित किया कि एम्बुलेंसों की खरीद डी जी एस एंड डी की ठेका दर के जरिए तथा उपकरण के खरीद वाहन के मू.उ.नि. के जरिए की जानी चाहिए।

तदनुसार, के.रि.पु.ब. ने टा.मो.लि. के साथ प्रस्ताव किया जिस पर वह मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत दरों पर वाहन तथा फिटिंग उपलब्ध कराने को सहमत हो गया (अगस्त 2011), यह सितम्बर 2012 तक वैध एक समय विशेष प्रस्ताव था जिसे बाद में बढ़ा कर सितम्बर 2013 तक कर दिया गया।

के.रि.पु.ब. ने एम्बुलेंसों तथा अन्य उपकरणों सहित वा.अनु. उपकरणों के लिए आपूर्ति आदेश क्रमश: फरवरी 2012 तथा मार्च 2012 में किए। आपूर्ति आदेश के अनुसार एम्बुलेंसों को 2 जुलाई 2012 तक या उससे पहले भेजा जाना था। फिर भी, के.रि.पु.ब. ने उपकरण सहित वा.अनु. फिटिंग के आपूर्ति आदेश को

इस आधार पर रद्द करने का निर्णय लिया (मार्च 2012) कि इसे एकल निविदा औपचारिकताओं को पूरा किए बिना जारी किया गया था।

के.रि.पु.ब. ने पुन: अप्रैल 2012 में उसी फर्म को 120 एम्बुलेंसों पर वा.अनु. तथा उपकरण की फिटिंग के लिए एकल निविदा जांच जारी की। फिर भी फर्म ने उसी समय, फिटिंग करने के लिए दरों को ₹45000 प्रति वाहन (सितम्बर 2012) बढ़ा दिया था। इसके अतिरिक्त उत्पाद शुल्क तथा वैट भी इस अवधि के दौरान बढ़ गए थे। लागतों में वृद्धि के ब्यौरे **अनुबंध-XIX** में दिए गए हैं।

के.रि.पु.ब. ने नवम्बर 2012 में टा.मो.लि. से ₹4.54 करोड़ (वैट सहित) की संशोधित लागत पर वा.अनु. की फिटिंग तथा अन्य मानक उपकरण की खरीद हेतु अनुमोदन सह व्यय संस्वीकृति के लिए संशोधित प्रस्ताव किया। मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर विचार करने में एक वर्ष लिया तथा अंत में ₹15.66 करोड़ (वाहनों के लिए ₹11.12 करोड़ तथा उपकरणों के लिए ₹4.54 करोड़) की संशोधित संस्वीकृति जारी की (नवम्बर 2013)। वाहनों के पूरे बेड़े का प्रेषण नवम्बर 2014 तक पूरा किया गया। ₹14.13 करोड़ का भुगतान (112 एम्बुलेंसों के लिए ₹10.61 करोड़ तथा 103 एम्बुलेंसों के मानक उपकरण के साथ वा.अनु. फिटिंग के लिए ₹3.52 करोड़) जनवरी 2015 को किया गया था। बाकी शेष वाहनों के संबंध में बिलों के भुगतान प्रक्रियागत थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मंत्रालय के वर्गीकृत अनुमोदन के बावजूद के.रि.पु.ब. ने प्रारंभिक आपूर्ति आदेश को रद्द कर दिया तथा इस अनुरोध पर परिहार्य अवधारणा बना ली कि आपूर्ति आदेश निविदा प्रक्रिया किए बिना जारी किया गया था, इसलिए क्रय प्रक्रिया में देरी हुई।

के.रि.पु.ब. ने कहा (दिसम्बर 2014) कि चूंकि नियमों में आपूर्ति आदेश निविदा प्रक्रिया आरंभ किए बिना सीधे तौर से फर्म को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं थी, इसने वर्तमान नियमों के अनुरूप सही कदम उठाया था।

हालांकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि यदि एकल निविदा जांच की जानी थी, के.रि.पु.ब. को फर्म द्वारा दिए जा रहे एक समय विशेष प्रस्ताव (30 सितम्बर 2012 तक वैध) के साथ मैसर्स टा.मो.लि. से सहमत होकर तथा मिलकर करना चाहिए था।

इस प्रकार, क्रय के अकुशल प्रबंधन तथा बताए गए नियमों के असंगत प्रयोग के परिणामस्वरूप दोहरी निविदा तथा परिहार्य विलंब हुआ जिसके कारण बाद में वा.अनु. उपकरण प्रभारों की लागत वृद्धि और उत्पाद शुल्क, वैट इत्यादि में वृद्धि हुई। लेखापरीक्षा ने ₹83.79 लाख के परिहार्य अतिरिक्त व्यय को परिकलित किया।